परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

Government Of Uttarakhand

No............ Dated..21-9-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 40.8916 ha of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway & Infrasture Development Corporation Limited "for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000 in Chamoli District in the State of Uttarakhand."**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 40.8916hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.30:1...to annexure 30:4;

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed the and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: As above

जिलाधिकारी
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli
चमोली

जनजाति कल्याण अधि.

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District:- Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional for dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. SWATI BHADORIYA,** District Magistrate Chamoli, on dated 21-9-2019 at time ..03.00.... at Chamoli in which application claiming rights in Forest Land area measuring **40.8916** ha. forest land **for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000in Chamoli District in the State of Uttarakhand** under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place. Chamoli Gopeshwar
Dated 21/9/2019

जिला अधिकारी
चमोली

(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित राड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 26.6.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यावाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री ..... उप जिलाधिकारी ..... अध्यक्ष
2. श्री ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य
3. श्री ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... सदस्य / सचिव
4. श्री ..... बी0 डी0 सी0 क्षेत्र ..... सदस्य

30/5/2019

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में /चमोली/ राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राश्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

क्षेत्र पंचायत सोनला
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

दमयन्ती मैसुरी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत उत्तरी
विकास-कर्णप्रयाग चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 26/8/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यावाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बुशरा अंसारी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री बुशरा अंसारी उप जिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव
4. श्री [illegible] बी0 डी0 सी0 क्षेत्र .... सदस्य
5. [illegible] ADO BTC [illegible] 30/8/2019

ASWO.M Chamoli Dasoli Block

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में /चमोली/ राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राश्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

नेगी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सोनला
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित राड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 4/9/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यावाही का विवरणः-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री [illegible] उप जिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव
4. श्री [illegible] बी0 डी0 सी0 क्षेत्र .... सदस्य
5. [illegible] 30/8/2019

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में /चमोली/ राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

नेगी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सोनला
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसीलः- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपदः- चमोली
5/9/19

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/9/19
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसीलः- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपदः- चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप--30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – कर्णप्रयाग

नगर पालिका का नामः– कर्णप्रयाग

वार्ड नं0 –

तहसीलः–कर्णप्रयाग जिलाः–चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0--58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुढढीकरण हेतु 1.330 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.3995 हे0 सिविल/वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 7.7295 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 015/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राश्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/ Bisht

नगर पालिका अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग

चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक 15/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - कर्णप्रयाग

नगर पालिका का नामः- कर्णप्रयाग

वार्ड नं0 -

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	उमेश त्रिकोटी	[signature]
2-	सुरेन्द्र सिंह रावत	[signature]
3-	मोहनलाल	[signature]
4-	प्रताप सिंह	[signature]
5-	सुरेशानंद सिंह	Surdersey

ह0/ [signature]
नगर पालिका अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग
चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – नाकोट (तरसाली), उमटा

ग्राम पंचायत का नामः– नाकोट

तहसीलः– क0प्रयाग, जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 8.04.19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत नाकोट, वि० खण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली); दिनांक 08/4/19)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – बरपाली, उमटा

ग्राम पंचायत का नामः– नाकोट

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश लाल	रमेशलाल
2	अतुल सिंह	[illegible]
3	सचिन सिंह	Sachin Singh
4	Mohan Singh	[illegible]
5	शिवदर्शनसिंह	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत नाकोट
पंजीकृत ह० [illegible]
दिनांक 08/4/19
वि० खण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0--58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-3.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – "कालेश्वर"

ग्राम पंचायत का नामः– कालेश्वर

तहसीलः– क0प्रयाग जिलाः– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 10/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/--
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत कालेश्वर
ह0
दिनांक 10/5/2019
वि0 खण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 10/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – काल्दू कालेश्वर

ग्राम पंचायत का नामः–

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	जयवीर सिंह	Javeer Singh
3	Sandeep	Sandeep
4	Ram Lal.	Ram Lal
5	अतुल सिंह	अतुल सिंह

ह0
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत कालेश्वर वि० खण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)
ह० [illegible]
दिनांक.........

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – जयकण्डी, ग्वाड़

ग्राम पंचायत का नामः– जयकण्डी, बड़सोली

तहसीलः– कर्णप्रयाग जिलाः– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे० वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

8-04-2019

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड् का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड् का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – नयकण्डी, ग्वाड़

ग्राम पंचायत का नामः– बड़सोली

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन लाल	मोहन लाल
2-	किशोरी लाल	किशोरी लाल
3-	हेमन्त कुमार	हेमन्त कुमार
4-	प्रदीप कुमार	[illegible]
5-	सोबती देवी	सोबती देवी
6-	अमरा कुमार	अ. कुमार

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Shanchi
8-04-2019

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – उत्तरो

ग्राम पंचायत का नाम:– उत्तरो

तहसील:– रुद्रप्रयाग जिला:– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुढ़ढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – उत्तरों

ग्राम पंचायत का नाम:– उत्तरों

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिवलाल	Shivlal –
2	रेखा देवी	रेखा देवी
3	मोहन सिंह	मोहन सिंह
4	महवीर सिंह	Maveer Singh
5	Manoj Singh	Manoj Singh

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरों
रेखा देवी
दिनांक 06/04/19
ऊखीमठ रुद्रप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – लंगासू, मिवाडी, उमराकोटी उर्फ बैंडागू

ग्राम पंचायत का नामः– लंगासू

तहसीलः– कर्णप्रयाग जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत लंगासू
हस्ताक्षर
दिनांक 8/4/19
विकास खण्ड कर्णप्रयाग चमोली

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग-में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – लंगासू, निवाड़ी, उमराकोट उर्फ बौंडगू

ग्राम पंचायत का नामः– लंगासू

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह	Surendra
2	पंकज सिंह	पंकज सिंह
3	मोहन सिंह नेगी	[signature]
4	प्रमोद लाल	Pramod lal
5	अवतार सिंह	[signature]
6	सुरेन्द्र सिंह	जोगा सिंह
7	महेन्द्र सिंह रावत	Mohan

ह0 ग्राम प्रधान मुहर सहित

ग्राम पंचायत लं... हस्ताक्षर दिनांक 5/4/19

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – टुंगलवाली, बिरोली, हडाकोटी, नौलीतली
ग्राम पंचायत का नाम:– टुंगलवाली,
तहसील:– चमोली जिला:– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत डुंगलवाली
ह0
दि0 06/4/19
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग-में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड् का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड् का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – डुंगलावाली, विरोली, हड़ाकोटी, नौली

ग्राम पंचायत का नामः– डुंगलावाली

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रजनी देवी	रजनी देवी
2	रामलाल	रामलाल
3	जशपाल लाल	Jaspal Lal
4	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र लाल
5	पंकज सिंह	Pankaj
6	अवतार सिंह	Avtar Singh

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

जशपाल लाल

प्रधान ग्राम पंचायत डुंगलावाली
ह0 जशपाल
दि0
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – सोनला, नन्दप्रयाग, पुरसाड़ी

नगर पालिका का नामः– नन्दप्रयाग

वार्ड नं0 –

तहसीलः– चमोली जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 05/09/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्धारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष
ह0/ नगर पचायत नन्दप्रयाग
नगर पालिका अध्यक्ष चमोली
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – सोनला, नन्दप्रयाग, पुरसाड़ी

नगर पालिका का नामः– नन्दप्रयाग,

वार्ड नं0 –

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हेमा देवी	हेमा देवी
2	रतन सिंह	Ratan [illegible]
3	मान सिंह	मान सिंह
4	धन सिंह	धन सिंह
5	पान सिंह	पान सिंह
6	गबर सिंह	[illegible]

hemani

ह0/–
नगर पालिका अध्यक्ष
मुहर सहित

अध्यक्ष
नगर पंचायत नन्दप्रयाग
जनपद चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – मैठाणा

ग्राम पंचायत का नामः– मैठाणा

तहसीलः– चमोली जिलाः– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – मैठाणा

ग्राम पंचायत का नामः– मैठाणा

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अतुल सिंह	Aatul
2	रामसिंह	रामसिंह
3	नरेन्द्र लाल	नरेन्द्र लाल
4	अमित कुमार	अमित
5	रोशन नेगी	Roshan
6	अरविन्द सिंह	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत मैठाणा
वि0 ख0 दशोली चमोली

परियोजना का नामः-	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – सैमन्च बाजबगड़, रोपा

ग्राम पंचायत का नामः– रोपा बाजबागड़,

तहसीलः– चमोली, जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 15/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत रोपा बाजबगड़ ... चमोली; ह0 गीता देवी; दिनांक 15/5/2019)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग-में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 15/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – ~~कुहेड~~ सैमच बाजबगड़, रोपा

ग्राम पंचायत का नाम:– "रोपा बाजबगड़"

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह	मोहन सिंह
2	अरविन्द सिंह	अरविन्द सिंह
3	राजेन्द्र कुमार	RajKumar
4	अतुल सिंह	अतुल
5	नरेन्द्र लाल	[illegible]

ह0 / – गीता देवी 15/5/2019
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

ग्राम पंचायत रोपा ... जनपद रुद्रप्रयाग

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – पुरसाड़ गाँव, गोलिम

ग्राम पंचायत का नामः- गोलिम

तहसीलः-चमोली, जिलाः- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 22/4/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गोलिम
ह0.......
दिनांक 22/4/2019
वि0 ख0 दशोली चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग-में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 22/4/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – ~~[illegible]~~ कुसाल्गांव, गोलिम,

ग्राम पंचायत का नामः– गोलिम

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुजीत शाह	[signature]
2	अजीत लाल	[signature]
3	रविन्द्र कुमार	रविन्द्र [signature]
4	अरविन्द लाल	[signature]
5	मनी सिंह	[signature]

ग्राम पंचायत गोलिम
प्रधान
ह0 [signature]
दिनांक 22/4/2019
वि0 ख0 दशोली चमोली

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिगिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – भूमला लग्गा खेनूरी

ग्राम पंचायत का नामः– खेनूरी

तहसीलः– चमोली जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 7/8/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्धारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 07/8/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – भूमला लग्गा खेनूरी

ग्राम पंचायत का नामः– खेनूरी

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Kapil Singh	Kapil singh
2	लालसिंह	Ku
3	बलबीरसिंह	लालसिंह
4	प्रकाशसिंह	बलबीर सिंह
5	दीवान सिंह	Prakash सिंह दीवान सिंह
6	Balwant Singh	B
7	राधेश्याम	राधेश्याम
8	ओम प्रकाश	ओमप्रकाश

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – गाड़ी

ग्राम पंचायत का नामः– गाड़ी

तहसीलः–चमोली, जिलाः–चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 25/6/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गाड़ी
ह0
दि0 25/6/2019

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 25/6/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – गाड़ी

ग्राम पंचायत का नामः– गाड़ी

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्रसिंह	Surendra
2	अरविंद	अरविन्द
3	प्रवीण कुमार	Pravin
4	शुशीलसिंह	शुशीलसिंह
5	रामसिंह	रामसिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गाड़ी
ह0 Kusum
दि0 25/6/2019

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – पाखी, जलग्वाड़

ग्राम पंचायत का नामः– पाखी

तहसीलः–जोशीमठ जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 02/04/19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रधान ग्राम पंचायत पाखी
ह0 नर्वदा देवी
दि0 02/04/19
वि0ख0 जोशीमठ (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 02/04/19 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – पाखी, जलखाड

ग्राम पंचायत का नामः– पाखी

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामसिंह	रामसिंह
2	पुष्करसिंह	पुष्करसिंह
3	भूपालसिंह	भूपालसिंह
4	रघुवीरसिंह	रघुवीरसिंह
5	पुष्पादेवी	पुष्पा देवी
6	चण्डी प्रसाद	चण्डी प्रसाद
7	रणजीतसिंह	रणजीत सिंह
8	हरिराम	Hari Ram

प्रधान ग्राम पंचायत पाखी
ह0 नर्वदा देवी
दि0 .....
विक्ष0 जोशीमठ (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तिरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – इंगणी तल्ली

ग्राम पंचायत का नामः– इंगणी तल्ली

तहसीलः- जोशीमठ जिलाः- चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 21/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अंथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्धारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/– 21/5/2019

ग्राम प्रधान

मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक 21/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - टंगणी तल्ली

ग्राम पंचायत का नामः- टंगणी तल्ली

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्याम लाल	श्याम लाल
2	रेवा देवी	रेवा देवी
3	पुष्कर सिंह	Pushkar Singh
4	राम लाल	राम लाल
5	Amit	Amit
6	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी

ह0/- 21/5/2019
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

जोशीमठ (चमोली)

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – टंगणी मल्ली

ग्राम पंचायत का नामः– टंगणी मल्ली

तहसीलः–जोशीमठ जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 1/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 1/3/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – टंगणी मल्ली

ग्राम पंचायत का नामः– टंगणी मल्ली

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] प्रसाद	[illegible] प्रसाद
2	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
3	रोशन	Roshan
4	Rohan	[illegible]
5	श्याम लाल	श्याम लाल
6	मनोज सिंह	मनोज सिंह
7		

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड् का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड् का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – गौलीगवाड़

ग्राम पंचायत का नामः– गणाई

तहसीलः– जोशीमठ, जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 02/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गणाई
दिनांक
वि0 ख0 जोशीमठ चमोली

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुढृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 04/03/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – नौलीग्वाड

ग्राम पंचायत का नामः– गणाई

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 –	कुमुदानन्द =	कुमुदानन्द
2 =	चन्द्रबल्लभ =	चन्द्रबल्लभ
3 –	उत्तरादेवी –	उत्तरादेवी
4 –	लोकानन्द –	लोकानन्द
5 –	महेशानन्द –	महेशानन्द

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गणाई वि0 ख0 जोशीमठ चमोली

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – नगर पंचायत पीपलकोटी, बादूला, गाढोरा, संगथला, बिरही चौरख, क्षेत्रपाल

नगर पालिका का नामः– पीपलकोटी,

वार्ड नं0 –

तहसीलः–चमोली जिलाः–चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 11.03.2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0

नगर पालिका अध्यक्ष

मुहर सहित

नगर पंचायत

पीपलकोटी (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 390.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक 07/03/019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - बाटूला, गडोरा, संगपला, नौरख, क्षेत्रपाल, विरही

नगर पालिका का नाम:- पीपलकोटी

वार्ड नं० -

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुशील [illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	चन्द्र मोहन [illegible]	
4		चन्द्रमोहन
5	दलीप चन्द्र [illegible]	[illegible]
6		
7	लीला [illegible] सभासद गडोरा	Leela
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10		
11	धर्मेन्द्र सिंह, सभासद	[illegible]
12	कमलेश पवार	Kamlesh
13	देवेन्द्र सिंह	[illegible]
14	[illegible] सिंह रावत	[illegible]
15	दीपक रावत	दीपक
16		
17	कुन्दन सिंह रावत	कुन्दन
18	नीरज पाल सिंह (पार्षद)	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20		
21	मन्जू देवी (सभासद)	मन्जू देवी

ह० [illegible]
नगर पालिका अध्यक्ष
मुहर [illegible]
नगर पंचायत
पीपलकोटी (चमोली)

Scanned by CamScanner